झारखण्ड उच्च न्यायालय राँची में

डब्ल्यू0पी0 (एस) संख्या 2648 वर्ष 2019

1. विश्वनाथ कुमार
2. शंकर कुमार मिश्रा
3. सुलोचना सोना
4. लोक बहादुद
5. सूरज नाग
6. हरेंद्र यादव
7. गौरी सनातन
8. ब्बी हेम्ब्रम
9. सवित्री मर्दी
10. अमूर्चा नाग
11. बिष्णु बहादुर ... . याचिकाकर्त्तागण

बनाम्

1. झारखंड राज्य
2. निदेशक, उच्च, तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास विभाग
3. निबंधक, कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा .... उत्तरदातागण

कोरम : माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय कुमार द्विवेदी

याचिकाकर्त्ता के लिए: श्री राजेश कुमार, अधिवक्ता

उत्तरदाता–राज्य के लिए: श्री सादाब बिन हक, सीनियर एस0सी0–I के ए0सी0

उत्तरदाता–विश्वविद्यालय के लिए: श्री आकाशदीप, अधिवक्ता

आदेश संख्या 5 दिनांक 01 फरवरी, 2021

श्री राजेश कुमार, याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान अधिवक्ता और श्री सादाब बिन हक, प्रतिवादी–राज्य के लिए विद्वान अधिवक्ता और श्री आकाशदीप, प्रतिवादी–विश्वविद्यालय के लिए विद्वान अधिवक्ता को सुना।

2. इस रिट याचिका को कोविड–19 महामारी के कारण उत्पन्न स्थिति को ध्यान में रखते हुए उच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों के मद्देनजर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुना गया है। किसी भी पक्ष ने ऑडियो–वीडियो की किसी भी तकनीकी गड़बड़ी के बारे में शिकायत नहीं की है और उनकी सहमति से इस मामले को सुना गया है।

3. याचिकाकर्ताओं ने याचिकाकर्ता संख्या 1 से 10 तक के वेतन को 6ठे वेतन संशोधन के तहत उनके योगदान की तिथि से वेतन निर्धारण एवं बकाया के भुगतान के लिए यह रिट याचिका दायर किया है, क्योंकि उन्हें अनुकम्पा के आधार पर चतुर्थ श्रेणी के पद पर नियुक्त किया गया है। 6ठे वेतन संशोधन के तहत याचिकाकर्ता संख्या 11 के वेतन को 01.01.2006 के प्रभाव से संशोधन करके बकाया वेतन का भुगतान किया जाय क्योंकि अनुकम्पा के आधार चतुर्थ श्रेणी के पद पर नियुक्त किया गया है और उनके वेतनमान को पहले झारखंड सरकार के मानव संसाधन विकास विभाग द्वारा 5वां वेतन संशोधन के अंतर्गत संशोधित किया गया है।

4. याचिकाकर्ताओं को जमशेदपुर को–ऑपरेटिव कॉलेज, जमशेदपुर में विभिन्न तिथियों पर अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त किया गया था, जैसा कि रिट याचिका के पैरा सं0 6 से 17 में बताया गया है।

5. श्री राकेश कुमार ने याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता से कहा कि याचिकाकर्ताओं को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त किया गया था और वे 6ठे वेतन संशोधन के हकदार हैं, लेकिन उनका वेतन तय नहीं किया गया है और कुछ याचिकाकर्ता का वेतन 5वें वेतनमान के संबंध में तय किया गया है। हालांकि, संशोधन के मद्देनजर 6ठे वेतनमान को याचिकाकर्ताओं के पक्ष में तय नहीं किया गया है। उन्होनें कहा कि याचिकाकर्ताओं ने कोल्हान विश्वविद्यालय के निबंधक के समक्ष अपना अभ्यावेदन पहले ही दायर कर दिया है और अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

6. श्री आकाशदीप, प्रतिवादी–कोल्हान विश्वविद्यालय के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि याचिकाकर्ता एक नया अभ्यावेन दायर कर सकते हैं।

7. श्री सादाब बिन हक, प्रतिवादी–राज्य के लिए विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि कोल्हान विश्वविद्यालय से किसी भी सिफारिश के प्राप्त होने के बाद राज्य की भूमिका शुरू होगी।

8. उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर और पार्टियों के लिए विद्वान अधिवक्ता के प्रस्तुतिकरण पर विचार करते हुए, याचिकाकर्ताओं को निर्देश दिया जाता है कि वे सभी

साख जिस पर वह भरोसा कर रहा है, के साथ प्रतिवादी संख्या 3 के समक्ष ए नया अभ्यावेदन तर्कपूर्ण आदेश पारित करने हेतु दायर करें।

9. यदि इस तरह का अभ्यावेदन पूर्वोक्त अवधि के भीतर दायर किया जाता है, तो प्रतिवादी संख्या 3 उचित कदम उठाएगा और यदि आवश्यक हो, तो तर्कपूर्ण आदेश पारित करने के लिए उपयुक्त प्राधिकारी के समक्ष रखें।

10. यह कहना नहीं होगा कि यदि प्रतिवादी–कोल्हान विश्वविद्यालय याचिकाकर्ताओं के पक्ष में कोई निर्णय लेता है, तो याचिकाकर्ताओं के मामले पर विचार करने के लिए प्रतिवादी संख्या 2 तक बढ़ाया जाएगा। यह प्रक्रिया इस आदेश की एक प्रति प्रस्तुत करने की तारीख से 12 सप्ताह के भीतर पूरा किया जाएगा।

11. उपरोक्त अवलोकन और निर्देश के साथ, इस रिट याचिका को निष्पादित किया जाता है।

(संजय कुमार द्विवेदी, न्याया0)